न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली
प्रथम अंतरिम **जमानत प्रार्थनापत्र सं0–865/2026**
CNRNo.UPBR01-003421-2026

1. **कल्पना यादव पत्नी पिन्टू यादव,**
2. **जमुना देवी पत्नी कल्यान उर्फ कल्लू यादव,**

निवासीगण ग्राम हमीरपुर, थाना सी0बी0गंज, जिला बरेली।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी/अभियोजन पक्ष**

अन्तर्गत धारा 118(1), 351(3), 352 बी0एन0एस0 व
धारा 3(2)Va एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–सी0बी0गंज, जिला–बरेली
मु0अ0सं0–**582/2024**

दिनांकः– 07.03.2025

उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कल्पना यादव व जमुना देवी ने स्वयं को थाना सी0बी0गंज, जिला बरेली के अपराध सं0–582/2024 अन्तर्गत धारा 118(1), 351(3), 352 बी0एन0एस0 धारा–3,(1)द,ध 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अन्तरिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और उन्हें अन्तरिम जमानत प्राप्त हुई। तदोपरान्त वह वर्तमान समय में अन्तरिम जमानत पर हैं। आज उन्होंने इस न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर बल दिया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी शेर सिंह द्वारा थाना सी0बी0गंज, जिला बरेली पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी अनुसूचित जाति से जाटव जाति का व्यक्ति है व मजदूरी का कार्य करता है प्रार्थी मजदूरी करने गया हुआ था घर पर मौजूद नहीं था दिनाक 26.11.2024 को प्रार्थी गांव की जमुना देवी पत्नी कल्यान यादव व उसकी बेटी कल्पना यादव प्रार्थी के खेत गोभी तोडकर ले आयी जिसकी जानकारी प्रार्थी की पत्नी सोमवती पत्नी शेर सिंह को हुई तो प्रार्थी की पत्नी समय लगभग शाम करीब 5:00 बजे शिकायत जमुना देवी के घर पर गयी। इसी बात जमुना देवी व उसकी बेटी कल्पना यादव प्रार्थी की पत्नी को अपने ही दरवाजे पर लात घूसो से मारने लगी पीटने लगी और इतने में ही कल्पना का पति जिसका नाम नहीं पता मेरी पत्नी पर हमलावर हो गये कल्पना के पति ने किसी धारदार हथियार से मेरी पत्नी के सिर पर धारदार हथियार से बार कर दिया जिससे मेरी पत्नी खून से लथपथ हो गयी व जमुना देवी व उसकी बेटी कल्पना व उसके दामाद ने भी बहन की गन्दी

गन्दी गालियां दी और कहा कि साली चमटिया तेरी इतनी हिम्मत तू शिकायत करने आयी शोर शराबे पर गांव के लोग एकत्र होने पर वह लोग भाग गये। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना सी0बी0गंज, जिला बरेली में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–582/2024, अन्तर्गत धारा 118(1), 351(3), 352 बी0एन0एस0 धारा– 3,(1)द,ध 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण के विरूद्व दर्ज किया गया। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर अन्तर्गत धारा 118(1), 351(3), 352 बी0एन0एस0 धारा–3(1)द,ध 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में वर्णित दण्डनीय अपराधय के विचारण हेतु आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हें झूॅठा फॅसाया गया है। अभियोजन की कहानी झूॅठी व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन आधारों पर याचना की गयी है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

राज्य की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया है तथा तर्क व्यक्त किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा घटना वाले दिन वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए मारा पीटा एवं जान से मारने की धमकी दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

वादी मुकद्मा पर नोटिस की तामील पर्याप्त है किन्तु उसकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण पर धारा–41क दं0प्र0सं0 के नोटिस की तामील कराकर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण 7 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। प्रार्थीगण इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 21.02.2026 के द्वारा अन्तरिम जमानत पर हैं, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतएव मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and Ors. Special Leave to Appeal (Crl.) No. 5191 of 2021 Decided On 07-10-2021** में प्रतिपादित किये गये विधि सिद्धान्त को दृष्टिगत

रखते हुए वाद के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत हेतु आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कल्पना यादव व जमुना देवी द्वारा थाना सी0बी0गंज, जिला बरेली के अपराध सं0–582/2024 अन्तर्गत धारा 118(1), 351(3), 352 बी0एन0एस0 व 3,(1)द,ध 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रत्येक द्वारा रूपये–**25,000**/–का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के एक–एक प्रतिभू निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आरोप विरचित दिनांक तथा बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षी को किसी भी प्रकार से डरायेगे, धमकायेंगे नहीं और न ही अभियोजन साक्ष्य से छेडछाड़ करेंगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे, जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेंगे।

(विजेन्द्र त्रिपाठी),
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
बरेली
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6160

दिनांकः 07.03.2026

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.03.12 10:35:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court